nagar units. Reports on the revival and rehabilitation of the two units have also been commissioned by the respective State Governments.

According to the Memorandum of Settlement on Assam, Central Government have agreed to render full assistance to the State Government in their efforts to reopen Ashok Paper Mills.

Consultations with the State Government have not concluded.

**Production of oil and gas**

1941. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what was the total production of oil and gas in India during the year 1987 and

(b) what has been the percentage of increase in oil and gas reserves during the last two years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAFIQUE ALAM): (a) OIL: 30.13 million tonnes GAS: 10830 million cubic meters.

(b) Percentage increase in geological reserves of oil and gas in the country from 1.1.85 to 1.1.87 was as under:

OIL: 11.4 per cent.

GAS: 11.8 per cent.

**विभिन्न अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित समेकित भत्ता**

1942. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सर्किल में कार्यरत विभिन्न अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए कितना-कितना समेकित भत्ता निर्धारित किया गया है ;

(ख) टिकट विक्रेता (स्टाम्प वेंडर) के समेकित भत्ते का निर्धारण अन्य अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की भांति उनके कार्य के घंटो के आधार पर न करके स्टाम्प बिक्री के आधार पर किए जाने का क्या औचित्य है ; और

(ग) क्या सरकार इस भेदभाव को समाप्त करने तथा स्टाम्प वेन्डरो को भी काम के घंटे के आधार पर समेकित भत्ता देने का विचार रखती है क्योंकि वे भी तो मुद्रा (कैश) लेन-देन का समान महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है ?

**ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री वसंत साठे)** : (क) दिल्ली सर्किल सहित सभी स्थानो में कार्यरत विभिन्न विभागेतर कर्मचारियों का मूल भत्ता नीचे दर्शाये गये कार्य-भार के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम के बीच में नियत किया गया है।

| विभागेतर कर्मचारियो की श्रेणी | मूल भत्ता (रु०) न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1. विभागेतर उप-पोस्ट-मास्टर/विभागेतर भंडार/विभागेतर उप रिकार्ड लिपिक | 385 | 620 |
| 2. विभागेतर शाखा पोस्टमास्टर | 275 | 440 |
| 3. टिकट विक्रेताओं सहित अन्य विभागेतर कर्मचारी | | |
| (i) दो घंटे से कम के कार्यभार के लिए | | 240 |
| (ii) दो घंटे या उससे अधिक के लिए | 270 | 420 |

इसके अतिरिक्त समय समय पर लागू महंगाई भत्ते के भी हकदार होते है ।

(ख) विभिन्न विभागेतर कर्मचारियों का मूल भत्ता कार्य-भार के आधार पर नियत किया जाता है न कि काम के घंटों के आधार पर । टिकट विक्रेताओं के मामले में भी मूल भत्ता कार्यभार के आधार पर नियत किया जाता है जिनकी गणना टिकटों की बिक्री के हिसाब से की जाती है ।